



समाहरणालय, अरवल ।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
31.12.2015	<p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं० – 66/डी०एम०/2015 आदेश</p> <p>श्री कौशल किशोर शर्मा, पिता—स्व० भृगुनन्दन शर्मा, सा०—परमपुरा, थाना—रामपुर चौरम, जिला—अरवल द्वारा एक एन०पी०बोर एन०पी० बोर राईफल की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2015 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 31.12.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।</p> <p>निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे कृषि का कार्य करते हैं तथा कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये मात्र है। आवेदक द्वारा स्वयं बताया गया कि वे शंकर विगहा नरसंहार में आरोपित हैं लेकिन न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनका छ—सात विगहा जमीन है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि उन्हें किस प्रकार की खतरा है। इनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। फिर भी उनके द्वारा अपनी जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा/भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक 198/गो० (शस्त्र), दिनांक 26.03.2015 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है। पुलिस अंचल निरीक्षक द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने हेतु अनुशंसा किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक गरम मिजाज के हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को किसी विशेष सुरक्षा/भय होने के संबंध में "नहीं" प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	<p>कंडिका 10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजूद भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। लेकिन इसके लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2) ए में अंकित है कि "आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर समर्पित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, उप धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निस्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक के सुरक्षा के बिंदू पर कोई सुरक्षा/भय/खतरा नहीं है तथा पुलिस जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से आवेदक को एक एन०पी०बोर राईफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।</p> <p>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री कौशल किशोर शर्मा, पिता—स्व० भृगुनन्दन शर्मा, सा०—परमपुरा, थाना—रामपुर चौरम, जिला—अरवल के आवेदित एक एन०पी० बोर राईफल की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><i>वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</i></p> <p>लेखापित एवं संशोधित  जिला दंडाधिकारी, अरवल</p> <p style="text-align: right;">  जिला दण्डाधिकारी, अरवल</p>	